GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

S.No.PC-V/119
PC-V/97/I/11/3

R.B.E.No.223/98
New Delhi, dated 28.09.98

The General Managers/OSDs/CAOs
All Indian Railways excluding Production Units
(As per mailing list)

Sub:Allotment of pay scales - recommendations of V CPC - Drawing, Design and Estimating Staff.

The question of implementation of the recommendations of the V CPC relating to the staff working in Drawing, Design and Estimators' cadre in the Railways has been under consideration of the Ministry of Railways for some time past.

2. The Ministry of Railways, with the approval of the President, have decided to introduce a new scale of Rs. 7450-11500 in the cadre of Drawing, Design and Estimating as indicated in the Annexure to this letter. Further, keeping in view the changing work pattern in the Drawing Offices, the introduction of this new grade shall be accompanied by abolition of the category of Assistant Draftsman in grade Rs. 4000-6000 in the manner indicated in the following paragraphs, read with the Annexure to this letter.

3. 50% of the posts lying vacant in the grade Rs. 4000-6000 as on 1-9-1998 shall stand surrendered and the remaining 50% will be upgraded to the grade Rs. 5000-8000. As and when more posts in the grade Rs. 4000-6000 fall vacant in future, 50% of such posts shall be surrendered and 50% upgraded to Rs. 5000-8000. Such reviews will be done every six months with effect from 1-9-1998. The posts surrendered in the above manner shall not be credited to the surplus staff bank. In the circumstances, the number of posts in the grades Rs. 4000-6000 and Rs. 5000-8000 will keep changing till all posts in the grade Rs. 4000-6000 stand abolished in the manner indicated above. While the posts in the grade Rs. 4000-6000 will get worked off progressively, affecting also the percentage of posts in the grade Rs. 5000-8000 (which will finally become 30% of the cadre strength as on 1-9-1998), the posts in grade Rs. 5500-9000 will be kept at 20% of the cadre strength as on 1-9-1998, those in Rs. 6500-10500 at 35.5% and the posts in the grade Rs. 7450-11500 will be kept at 4.5% of the cadre strength as on 1-9-1998.

4. In partial modification of the existing instructions on the subject, it has also been decided that the posts in the cadre of Drawing, Design and Estimating shall be filled in the following manner:

(a) Additional posts becoming available in the grade Rs. 5000-8000 as a result of working off and upgradation of the posts in Rs. 4000-6000, shall be filled by promotion of the staff in the grade Rs. 4000-6000 through the normal mode of selection.

...2/-

(b) Till such time the posts in grade Rs.4000-6000 continue to exist, the vacancies in the grade Rs. 5000-8000 arising in normal course will continue to be filled as per the existing procedure except that the direct recruitment quota of 20% for Diploma holders in the Civil Engineering Deptt. will stand enhanced to 50% of the vacancies. After the posts in the grade Rs. 4000-6000 are fully worked off, posts in the grade Rs. 5000-8000 will be filled up entirely by direct recruitment of Diploma holders in relevant Engineering disciplines through RRBs.

(c) Direct recruitment quota of 25% for engineering graduates in the grade Rs. 1600-2660 (since replaced by revised scale of Rs. 5500-9000) shall stand discontinued and the same will instead be in the grade Rs. 6500-10500 to the extent of 20%. The remaining 80% of the posts in the grade Rs. 6500-10500 will be filled by promotion of staff from the lower grade of Rs. 5500-9000 in the usual manner.

(d) With a view to ensuring that the benefit of the grade Rs. 6500-10500 becomes available in a reasonable time frame to the existing engineering graduates working in grade Rs. 5500-9000, it has been decided that:

(i) The additional posts becoming available as per the revised percentages given in para 3 above in grade Rs.6500-10500 may be filled from amongst such staff following a process of selection; and

(ii) The 20% direct recruitment quota becoming available in this grade from 2.9.98, may also be filled up by engineering graduates holding the grade of Rs. 5500-9000 as on 1-9-1998, by LDCE for a period of three years upto 31.8.2001 or till such time as no such staff remains awaiting such placement, whichever is earlier.

5. While, implementing these orders the following detailed instructions should be strictly and carefully adhered to:

Date of effect

(a) The number of posts to be operated in these scales will be with reference to the sanctioned cadre strength as on 1-9-1998. Staff who are placed in the grade Rs. 7450-11500 as a result of implementation of the orders by promotion on non-selection basis as indicated in the Annexure, will draw pay in the grade with effect from 1-9-1998, subject to other conditions laid down in the succeeding paragraphs. In all other cases, the benefit of these orders will accrue in the usual manner from the date of actual placement of the staff concerned in the respective grades.

Applicability to various Cadres

(b)(i) These orders will be applicable to regular cadres on Open Line Establishment including Workshops and will include posts of rest givers and leave reserves. They shall not apply to the Production Units.

CONTINUED

S. No. PC-V/119 Dt. 28-9-98.

(ii) Insofar as operation of posts in various higher grades is concerned, these orders will not be applicable to Construction Units and Projects as also to ex-cadre and work charged posts which will continue to be based on worth of charge. However, posts in the grade Rs. 4000-6000 in such organisations also will have to be phased out.

Pay Fixation

(c) Staff selected and posted against the higher grade posts as a result of introduction of the new scales will have their pay fixed under Rule 1313 (R-II) (FR-22-I(a)1) with the usual option for pay fixation as per extant instructions.

Classification and filling up of the vacancies

(d) The classification of the posts and other related issues have been mentioned in the Annexure attached.

Minimum years of Service for promotion to new grade

(e) The normal minimum eligibility condition of 2 years service in the immediate lower grade will apply as usual, except in the case of employees with engineering degree qualification being placed in the grade Rs. 6500-10500 as detailed in para 4(d).

Basic functions, duties and responsibilities

(f) Since the posts in the grade Rs. 7450-11500 are being created, *inter alia*, on functional considerations, such posts should be pin-pointed and should include duties of higher importance. The benefit will become admissible to the staff concerned after they actually move to the pin-pointed posts.

Specific instructions given in the foot note of annexure

(g) While implementing these orders, specific instructions given as foot notes against relevant categories in the enclosed annexure should be strictly and carefully adhered to.

Provision of Reservation

(h) The existing instructions with regard to reservation will continue to apply while filling up posts in the new grades.

Annual Review

(i) Annual Reviews shall remain suspended till further instructions from this office.

4. Kindly acknowledge receipt. Hindi version will follow.

Encl:- As Above

(Neera Khurana)
Director Pay Commission
Railway Board

PC-V/97/I/11/3

New Delhi, dated 28.09.98

...4/-

S.No. PC-V/11/3 01-28-9-98

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways

Copy forwarded to :-

1. The GM N.F. Railway (Const.), CAOs, Southern Railway (Const.) and Central Railway(Const.)
2. The FA & CAOs, All Indian Railways, Production Units, N.F. Railway (Const.) and Southern Railway (Const.)
3. The Director General, RDSO/Lucknow
4. The General Manager and FA & CAO, Metro Railway/Calcutta
5. The General Manager and FA & CAO, COFMOW/New Delhi
6. The General Manager and FA & CAO, CORE/Allahabad
7. The Principal, Railway Staff College/Vadodara
8. The CAO (Const.), MTP(R)/Mumbai
9. The CAO (Const.), MTP(R)/Chennai
10. The Director, CAMTECH/Gwalior-474020
11. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad
12. The Managing Director, RITES, IRCON, IRFC, CONCOR of India Limited, Executive Director, CRIS
13. The Chairman and Managing Director, KRC Limited/New Delhi.
14. Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railway Central Organisation for Telecom (IRCOT) Consultancy, Shivaji Bridge/New Delhi
15. The Director (Movement), Railways/Calcutta
16. The Joint Director(Finance), RDSO, Lucknow
17. The Joint Director, Mil Rail, Ministry of Defence
18. The Joint Director, Iron & Steel, 1, Koila Ghat Street/Calcutta
19. Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad, Bihar
20. The Chairman, RCC, Lok Sabha Secretariat/New Delhi
21. The Chairman, RCT/Delhi
22. The Chairman, RRT/Chennai
23. The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Calcutta, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum
24. The Editor, 'Bhartiya Rail'.
25. The Editor 'Indian Railways'
26. The Editor 'Rail Rajbhasha'
27. Sh. S.K. Ujlayan, CAO(C), S.E. Railway, Bilaspur - 495004 (M.P.)
28. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways (Railway Board)
29. The General Secretary, IRCA/New Delhi
30. The Commissioner, Railway Safety/Lucknow
31. Shri T.K. Biswas, Railway Adviser, Embassy of India, Barmschaidt Strasse -7/Bonn
32. Liaison Officer, V CPC, Zonal Railways/PUs/RDSO/Trg. Institutes/Metro Railway/COFMOW/CORE/RSC etc.
33. M/s Bhatt Brother, Lajpat Rai Market/Delhi

(Neera Khumar)
Director Pay Commission
Railway Board

PC-V/97/II/11/3 New Delhi, dated 28.09.98

Copy forwarded to :-

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares)
2. The General Secretary, AIRF (with 25 spares)
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares)
4. The Secretary General, FROA (with 5 spares)
5. The Secretary, RESS, Group 'A' Officers Association (with 5 spares)
6. The President, Railway Board Class II Officers' Association (with 5 spares)
7. The Secretary General, IRPOF (with 5 spares)
8. The President, Indian Railway Class II Officers Association, Rail Nilayam, Secunderabad (with 5 spares)
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association (with 5 spares)

DRDESIGNED
...5/-

PC-2/119

The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association (with 5 spares)

for Secretary, Railway Board

Copy to :-

CRB, FC, MS, MT, ME, ML, MM, DG/RHS, DG/RPF, All Additional Members, All OSDs, Secretary, All Executive Directors, JS, JS(G), JS(E), JS(C), JS(D), DS(G), DEN, Dir(MPP),DS(E), DEG, DF(E), JDFC I & II, JDE(G), JDE(P&A), JDE(GC), JDE(Gaz), JDE(W), JDE(GF), JDE(Res.) I, JDE(L), DDFC III, IV & V, DDE(R)II, DDF(I) I, II & III,DDE(N) I & II,IS(E), DDE(LR) I, II & III/Railway Board.

Cash - I, II, III & IV, Budget, E(P&A) I & II, E(G), E(NG) I & II, PC - III & IV, E(Trg.), E(MPP), E/LR) I & II, F(E) - I, II & III, Security (E), Security (ABE) & Special, Accounts III, ERB - I, II, III, IV, V & D, G(Pass), G(Acc), E(Welfare), E(SCT), E(O) I, II III & III(CC), E(GR) I & II, E(GP), E(GC), Code Revision Cell, O&M, PG, E(Rep)-I, II & III, PR, E(D&A)/Railway Board.

S.No. PC-2/119

ANNEXURE

No.PC-V/97/I/11/3 dated 28.09.1998

DEPARTMENT : CIVIL , MECHANICAL, S & T, ELECTRICAL (All Railways except PUs)
CATEGORY : DRAFTSMAN/ DESIGN ASSISTANT/ESTIMATING STAFF

Pre Revised Scale	Revised scale	Existing % age	Revised % age[1]	Remarks	Classification and Procedure for filling up
1200-2040	4000-6000	20	10 (To be surrendered)	Grade to be abolished[2]	No further recruitment in this grade. All pending indents to be frozen
1400-2300	5000-8000	20	30[3]	Existing Grade	Direct Recruitment[4] of Diploma Holders in respective Discipline
1600-2660	5500-9000	25	20	Existing Grade	Promotion - Non-selection
2000-3200	6500-10500	35	35.5	Existing Grade	Direct Recruitment[4] of Engg. Degree Holders in respective disciplines
	7450-11500	–	4.5	New Grade	Promotion - Non-selection

Explanatory Notes:

[1] These percentages will be with reference to cadre strength as on 1-9-1998. The percentage of 30 in the grade Rs. 5000-8000 shall be reached when all posts in grade Rs.1200-2040 (Rs.4000-6000) have been worked off as per Note 2 below.

[2] This grade will be progressively abolished. 50% of the posts lying vacant shall stand surrendered and the remaining 50% upgraded to Rs. 5000-8000. As and when the more posts in Rs. 4000-6000 fall vacant in future, 50% of such posts will be upgraded to the grade Rs. 5000-8000 and the remaining 50% surrendered. Posts surrendered shall not be credited to the surplus staff bank.

[3] Additional posts becoming available in the grade Rs. 5000-8000 as a result of working off and upgradation of the posts in Rs. 4000-6000, shall be filled by promotion of the staff in the grade Rs. 4000-6000 through the normal mode of selection. Till such time the posts in grade Rs.4000-6000 continue to exist, the vacancies in the grade Rs. 5000-8000 arising in normal course will continue to be filled as per the existing procedure except that the direct recruitment quota of 30% for Diploma holders in the Civil Engineering Deptt. will stand enhanced to 50% of the vacancies. After the posts in the grade Rs. 4000-6000 are fully worked off, posts in the grade Rs. 5000-8000 will be filled up entirely by direct recruitment of Diploma holders in relevant Engineering disciplines through RRBs.

[4] 20% Direct recruitment through RRB with qualification of degree in respective Engineering disciplines. Remaining posts to be filled up by promotion from staff in grade Rs. 5500-9000 through selection. With a view to ensuring that existing staff recruited with the qualification of degree in Engineering get placed in the grade Rs. 6500-10500 in a reasonable time frame, the direct recruitment quota will be filled by such Engineering graduates in grade Rs.1640-2900 (Rs.5500-9000) for a period upto 31.05.2001 or till such time as no such staff remain awaiting such placement, whichever is earlier.

CONTD...TO

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं0 पी सी-5/119 आर·बी·ई·सं·223/98

पी सी-5/97/आई/11/3 नयी दिल्ली, दि0 18-9-·98

महाप्रबंधक/विशेष कार्याधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
उत्पादन इकाइयों को छोड़कर सभी भारतीय रेलें·
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:- वेतनमानों का आबंटन - पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें - ड्राइंग, डिजाइन तथा आकलनकर्ता कर्मचारी·

रेलों में ड्राइंग,डिजाइन एवं आकलनकर्ता संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का प्रश्न पिछले कुछ समय से रेल मंत्रालय के विचाराधीन रहा है·

2· राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से रेल मंत्रालय ने यह विनिश्चय किया है कि इस पत्र के अनुबंध में उल्लेख किए गये अनुसार,ड्राइंग, डिजाइन एवं आकलनकर्ता संवर्ग में 7450-11500 रु0 के एक नये वेतनमान की शुरुआत की जाए· इसके अलावा, ड्राइंग कार्यालयों में कार्य के बदलते हुए स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, इस नये ग्रेड की शुरुआत करने के साथ ही, इस पत्र के अनुबंध के साथ पठित निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लिखित तरीके से 4000-6000 रु0 के ग्रेड में सहायक ड्राफ्टसमैन की कोटि को समाप्त कर दिया जाएगा·

3· 1·9·98 को 4000-6000 रु0 के ग्रेड में रिक्त पड़े 50% पदों को सरेंडर किया गया तथा शेष 50% को 5000-8000 रु0 के ग्रेड में अपग्रेड किया गया माना जाएगा· भविष्य में भी 4000-6000 रु0 के ग्रेड में और पदों के रिक्त होते ही, ऐसे 50% पदों को सरेंडर तथा 50% को 5000-8000 रु0 के ग्रेड में अपग्रेड कर दिया जाएगा· ऐसी समीक्षा 1·9·98 के बाद प्रत्येक छमाही में की जाएगी· उपर्युक्त तरीके से सरेंडर किए गये पदों को सरप्लस स्टॉफ बैंक के क्रेडिट में नहीं डाला जाएगा· इन परिस्थितियों में, 4000-6000 रु0 तथा 5000-8000 रु0 के ग्रेड में पदों की संख्या में तब तक परिवर्तन किया जाता रहेगा जब तक कि उपर्युक्त उल्लिखित तरीके से 4000-6000 रु0 के ग्रेड में सभी पद समाप्त नहीं हो जाते· हालांकि 4000-6000 रु0 के ग्रेड में पदों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती जाएगी जिसके कारण 5000-8000 रु0 के ग्रेड में पदों के प्रतिशत पर भी प्रभाव पड़ेगा (जो अन्ततः 1·9·98 को संवर्ग संख्या का 30% हो जाएगा), फिर भी 5500-9000 रु0 के ग्रेड में पदों की संख्या

../2/-

पी.सी.5/11.9.

पी.सी-5/97/ओई/11/3

आर.बी.ई.सं. 223/98.

दिनांक: 28-09-98

को 1.9.98 को संवर्ग संख्या के 20%, 6500-10500 रु0 में 35.5% पर तथा 7450-11500 रु0 के ग्रेड में पदों की संख्या 1.9.98 को संवर्ग संख्या के 4.5% के बराबर रखी जाएगी.

4. इस विषय पर मौजूदा अनुदेशों में आंशिक आशोधन करते हुए, यह भी विनिश्चय किया गया है कि ड्राइंग,डिजाइन एवं आकलनकर्ता संवर्ग में पदों को निम्नलिखित तरीके से भरा जाएगा:-

(क) 4000-6000 रु0 के पदों को कम किए जाने तथा अपग्रेड किए जाने के परिणामस्वरूप, 5000-8000 रु0 के ग्रेड में उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त पद प्रवरण की सामान्य प्रक्रिया द्वारा 4000-6000 रु0 के ग्रेड में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति करके भरे जाएंगे.

(ख) 4000-6000 रु0 के ग्रेड में पदों के मौजूद होने तक 5000-8000 रु0 के ग्रेड में सामान्य तरीके से उत्पन्न होने वाली रिक्तियां मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भरी जाती रहेंगी जिसमें सिविल इंजीनियरी विभाग में डिप्लोमा धारकों के लिए 20% का सीधी भर्ती कोटा बढ़ाकर रिक्तियों के 50% तक कर दिया गया है. 4000-6000 रु0 के ग्रेड में सभी पदों को पूर्णत: समाप्त कर दिए जाने के बाद, 5000-8000 रु0 के ग्रेड में पदों को पूर्णत: रेल भर्ती बोर्डों के जरिए सुसंगत इंजीनियरी क्षेत्र में डिप्लोमाधारकों की सीधी भर्ती करते हुए भरा जाएगा.

(ग) 1600-2660 रु0 (जिसे 5500-9000 रु0 के संशोधित वेतनमान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है) के ग्रेड में इंजीनियरी स्नातकों के लिए 25% सीधी भर्ती वाले कोटे को समाप्त माना जाएगा और इसके बदले में यह 6500-10500 रु0 के ग्रेड में 20% के बराबर होगा. 6500-10500 रु0 के ग्रेड में (बाकी) 80% पद सामान्य तरीके से5500-9000रु0 के निचले ग्रेड में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति करके भरे जाएंगे.

(घ) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि 6500-10500 रु0 के ग्रेड का लाभ5500-9000रु0 के ग्रेड में कार्यरत मौजूदा इंजीनियरी स्नातकों को एक उचित समय सीमा के भीतर उपलब्ध हो जाता है, यह विनिश्चय किया गया है कि :-

(i) 6500-10500 रु0 के ग्रेड में उक्त पैरा 3 में दिए गये संशोधित प्रतिशतों के अनुसार उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त पदों को प्रवरण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ऐसे कर्मचारियों में से भरा जाएगा,तथा

(ii) 2.9.98 से इस ग्रेड में उपलब्ध होने वाले 20% सीधी भर्ती वाले कोटे को भी 1.9.98 को 5500-9000 रु0 के ग्रेड में कार्यरत इंजीनियरी स्नातक कर्मचारियों द्वारा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के जरिए 31.8.2001 तक की तीन वर्ष की अवधि अथवा उस समय जब ऐसा कोई कर्मचारी अपने स्थापन के लिए प्रतीक्षारत न रहा हो, जो भी पहले हो, तक के लिए भरा जाएगा.

5. इन आदेशों का कार्यान्वयन करते समय, निम्नलिखित विस्तृत अनुदेशों का कड़ाई एवं ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जाए:-

लागू करने की तारीख

(क) इन वेतनमानों में परिचालित किए जाने वाले पदों की संख्या 1.9.98 को स्वीकृत संवर्ग संख्या के संदर्भ में होगी. ऐसे कर्मचारी जो इन आदेशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, अनुबंध में उल्लेख किए गए अनुसार गैर-प्रवरण आधार पर पदोन्नति द्वारा 7450-11500 रु0 के ग्रेड में रखे जाते हैं, वे बाद वाले पैराग्राफों में उल्लिखित अन्य शर्तों के अध्यधीन 1.9.98 से/ग्रेड में वेतन प्राप्त करेंगे. अन्य, सभी मामलों में, इन आदेशों का लाभ संबंधित कर्मचारियों को अपने-अपने ग्रेडों में सामान्य तरीके से अपने स्थापन की कालिक तारीख से प्राप्त होगा.

विभिन्न संवर्गों में लागू होना

(ख) (i) ये आदेश कारखानों सहित ओपन लाइन आपनाओं पर नियमित संवर्गों में लागू होंगे तथा इनमें विश्राम देने वाले (रिस्ट रिलीवर) तथा लीव रिजर्व पद शामिल होंगे. ये उत्पादन इकाइयों के लिए लागू नहीं होंगे.

(ii) जहां तक विभिन्न उच्चतर ग्रेडों में पदों के परिचालन का संबंध है, ये आदेश निर्माण इकाइयों तथा परियोजनाओं के अलावा ऐसे संवर्ग-बाह्य तथा कार्यप्रभारित पदों पर लागू नहीं होंगे जो प्रभार के महत्व के आधार पर मौजूद रहे हों. बहरहाल, ऐसे संगठनों में 4000-6000 रु0 के ग्रेड में पदों को भी समाप्त करना होगा.

वेतन निर्धारण

(ग) नये वेतनमानों की शुरुआत किए जाने के परिणामस्वरूप, प्रवरण किए गये तथा उच्चतर ग्रेड के पदों पर तैनात कर्मचारियों का वेतन मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, वेतन निर्धारण के लिए सामान्य विकल्प के आधार पर नियम 1313(आर.-2)(एफ.आर.-22-1(क)1) के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा.

वर्गीकरण एवं रिक्तियों को भरना

(घ) पदों का वर्गीकरण तथा अन्य संबंधित मुद्दों का उल्लेख संलग्न अनुबंध में किया गया है.

नये ग्रेड में पदोन्नति के लिए सेवा के न्यूनतम वर्ष

(ङ.) ठीक निचले ग्रेड में 2 वर्ष सेवा की सामान्य न्यूनतम अवधि सामान्य रूप से लागू होगी

...4/-

पी.सी.5/119.
पी.सी.5/97/ओई/11/3

आर.बी.ई.सं. 223/98
दिनांक: 28.09.98

जिसमें वे कर्मचारी शामिल नहीं होंगे जो पैरा 4 (घ) में उल्लेख किए गये अनुसार, 6500-10500 रु0 के ग्रेड में रखे जाने की इंजीनियरी डिग्री की योग्यता रखते हों.

मूल कार्य, ड्यूटी तथा उत्तरदायित्व

(च) चूंकि 7450-11500 रु0 के ग्रेड में पद अन्य बातों के साथ-साथ कार्यात्मक आधार पर सृजित किए जा रहे हैं. अतः इन पदों को चिन्हित किया जाना चाहिए तथा इन पदों में उच्चतर ग्रेड की ड्यूटियां शामिल होनी चाहिए. यह लाभ उन्हीं संबंधित कर्मचारियों को स्वीकार्य होगा जो इन चिन्हित पदों को वास्तविक रूप से संभालते हों.

अनुबंध के फुटनोट में दिये गये विशिष्ट अनुदेश

(छ) इन आदेशों को कार्यान्वित करते समय, संलग्न अनुबंध में वर्णित सुसंगत कोटियों के अंतर्गत फुटनोट में दिए गये अनुसार विशिष्ट अनुदेशों का कड़ाई एवं ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जाए.

आरक्षण का प्रावधान

(ज) नये ग्रेडों में पदों को भरते समय आरक्षण से संबंधित मौजूदा अनुदेश लागू होते रहेंगे.

वार्षिक समीक्षा

(झ) इस कार्यालय से अगला अनुदेश जारी किए जाने तक वार्षिक समीक्षा लंबित रहेगी.

6. कृपया इस पत्र की पावती दें.

नीरा सुटिया

(नीरा सुटिया)
निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड.

संलग्न: यथोक्त

यु॰ स॰ पं॰ले॰ई॰/1/19. आ॰बो॰ई॰ सं॰ 223/98.

सं. पी सी-5/97/आई/11/3 नई दिल्ली, दिनांक 28.09.98

प्रतिलिपि डी ए आई/रेलें, नई दिल्ली को प्रेषित 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित

कृते वित्त आयुक्त, रेलें

1. महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेल (निर्माण), मु.प्र.अ., दक्षिण रेल (निर्माण) एवं मध्य रेल (निर्माण)
2. विस एवं मूलेथि, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेल (निर्माण) एवं दक्षिण रेल (निर्माण)
3. महानिदेशक, अ.अ.मा.सं, लखनउ
4. महाप्रबंधक एवं वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, मैट्रो रेल, कलकत्ता
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, कॉफमो, नई दिल्ली
6. महाप्रबंधक एवं वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, कोर/इलाहाबाद
7. पिंसिपल, रेलवे स्टाफ कालेज, वडोदरा
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) एम टी पी (आर), मुम्बई
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) एम टी पी (आर), चेन्नई
10. निदेशक, केमटेक/ग्वालियर - 474020
11. निदेशक, इरीसेन/पुणे, इरीन/नासिक रोड, इर्मी/जमालपुर, इरीसेट/सिकंदराबाद
12. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कॉनकर रेल कार्पोरेशन लि./नई दिल्ली
13. प्रबंध निदेशक, राइट्स, इरकॉन, आई आर एफ सी, कॉनकर, कार्यपालक निदेशक/किस
14. मुख्य परियोजना प्रशासक (दूरसंचार) का कार्यालय टेलीकॉम कंसल्टेंसी (इरकोट) के लिए भारतीय रेल केंद्रीय संगठन, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली
15. निदेशक (संचलन), रेलें, कलकत्ता
16. संयुक्त निदेशक (वित्त) अ.अ.मा.सं., लखनउ
17. संयुक्त निदेशक, मिल रेल, रक्षा मंत्रालय
18. संयुक्त निदेशक, लोहा एवं इस्पात, 3 कोयलाघाट स्ट्रीट, कलकत्ता

... 2/

19. मुख्य खनन सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद, बिहार
20. अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड/अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंगलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ, चेन्नई, कलकत्ता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद और त्रिवेंदम
21. अध्यक्ष, आर सी सी, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
22. संपादक, "भारतीय रेल"
23. संपादक, "इंडियन रेलवे"
24. वेतन एवं लेखाधिकारी, रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड
25. जनरल सेकेटरी, आई आर सी ए/ नई दिल्ली
26. आयुक्त, रेल संरक्षा/लखनउ
27. संपर्क अधिकारी, पांचवां केंद्रीय वेतन आयोग, क्षेत्रीय रेलें, उत्पादन इकाइयां/उ.उ.मा.सं./प्रशिक्षण संस्थान/ मैट्रो रेल/काफमो/कोर/रेल स्टाफ कालेज आदि
28. श्री टी.के. विस्वास, रेलवे सलाहकार, भारतीय दूतावास, वोनशेडेट त4स्द्रेसे - 7/बोन
29. मैसर्स बाहरी, लाजपत राय मार्किट, दिल्ली
30. श्री एस.आर. उन्नायन, मु.प.अ.(सी) दक्षिण-पूर्व रेल, बिलासपुर - 495004/मध्य प्रदेश
31. संपादक "रेल राजभाषा"
32. अध्यक्ष, आर सी टी, दिल्ली
33. अध्यक्ष, आर सी टी, चेन्नई

(नीरा खटिया)
निदेशक, रेलवे बोड
वेतन आयोग

रां. पी री-5/97/आई/11/3 नई दिल्ली, दिनांक 29.09.98

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. जनरल सेकेटरी, एन एफ आई आर 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित
2. जनरल सेकेटरी, ए आई आर एफ 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित

...7/-

चौ.चौ.ड|।।१.
चौ.चौ.ड| १७|ऑई|।।|3

आर.बी.ई. सं. 223/98.
दिनांक. 28.09.98.

3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सदस्य और सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13 सी. फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली 90 अतिरिक्त प्रतियों सहित
4. सेक्रेटरी जनरल, एफ आर ओ ए 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
5. सेक्रेटरी, आर बी एस एस ग्रुप बी आफिर्सस एसोसिएशन 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
6. प्रेसिडेंट, रेलवे बोर्ड क्लास 2 आफिर्सस एसोसिएशन 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
7. सेक्रेटरी जनरल, आई आर पी ओ एफ 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
8. प्रेसिडेंट, इंडियन रेलवे क्लास 2 आफिर्सस एसोसिएशन 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
9. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड क्लास 4 स्टाफ एसोसिएशन 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :-

सी आर बी, एफ सी, एम एस, एम टी, एम एल, एम एम, डी जी/आर एच एस, डी जी/आर पी एफ, सभी अतिरिक्त सदस्य, सभी ओ एस डी, सेक्रेटरी, सभी कार्यकारी निदेशक, जे एस, जे एस/जी, जे एस/ई, जे एस/डी, डी एस/जी, जे डी पी सी, डी ई एन, नि/एम पी पी, डी ई जी, जे डी ई/एन, जे डी ई/पी एण्ड ए, जे डी ई/जी सी, जे डी ई/गेज., जे डी ई/डब्ल्यू, जे डी ई/जी पी, जे डी ई/आर ई एस 1, डी एफ/ई, जे डी ई/एल, डी डी एफ/ई 1,2 एण्ड 3, डी डी ई/एन 1, एण्ड 2, डी डी ई/एल आर 1,2 एण्ड 3/ रेलवे बोर्ड

कैश 1,2,3 एण्ड 4, बजट, ई/पी एण्ड ए 1 एण्ड 2, ई/जी, ई/एन जी 1 एण्ड 2, पी सी 3 एण्ड 4, ई/ट्रेनिंग, ई/एम पी पी, ई/एल आर 1 एण्ड 2, एफ/ई 1,2 एण्ड 3, सुरक्षा/ई, लेखा 3, ई आर बी 1,2,3,4,5 एण्ड डी, जी/पास, जी/आवास, ई/वेलफेयर, ई/एस सी टी, ई/ओ 1,2,3 एण्ड 3/सी सी, ई/जी आर 1 एण्ड 2, ई/जी पी, ई/जी सी, कोड रिवीज़न सैल, पी आर, ई/डी एण्ड ए/ रेलवे बोर्ड

...8/-

उ.स. पी.सी.-5/11 9

सं0 पी.सी-5/97/आई/11/3

अनुबंध-

फा.वी.ई.सं. 223/98.

नयी दिल्ली, दि0 29.09.98

विभाग:- सिविल,यांत्रिक,सिगनल एवं दूर संचार,बिजली(उत्पादन इकाइयों को छोड़कर सभी श्रेणियां)

कोटि:- ड्राफ्ट्समैन/डिजाइन सहायक/आकलनकर्ता कर्मचारी.

पूर्व संशोधित वेतनमान	संशोधित वेतनमान	मौजूदा प्रतिशत	संशोधित प्रतिशत[1]	टिप्पणी	वर्गीकरण एवं पदों को भरने की प्रक्रिया
1200-2040	4000-6000	20	10(सरेंडर किया जाने वाला)	समाप्त किया जाने वालाग्रेड[2]	इस ग्रेड में आगे कोई भर्ती नहीं,सभी लंबित मांगपत्र रोक दिए जाएं.
1400-2300	5000-8000	20	30[1]	मौजूदा ग्रेड	संबंधित क्षेत्रों में डिप्लोमा धारकों की सीधी भर्ती[3]
1600-2660	5500-9000	25	20	मौजूदा ग्रेड	पदोन्नति-गैर-प्रवरण
2000-3200	6500-10500	35	35.5	मौजूदा ग्रेड	संबंधित क्षेत्रों में इंजी. डिप्लोमाधारकों की सीधी भर्ती[4]
----	7450-11500	--	4.5	नया ग्रेड	पदोन्नति-गैर-प्रवरण

व्याख्यात्मक नोट :-

1. यह प्रतिशत 1.9.98 को संवर्ग संख्या के संदर्भ में होगा. 5000-8000 रु0 के ग्रेड में 30% तक तब पहुंच जाएगा जब नीचे नोट 2 के अनुसार, 1200-2040 रु0(4000-6000रु0(के ग्रेड में सभी पदों को समाप्त कर दिया जाएगा.

2. इस ग्रेड को उत्तरोत्तर समाप्त कर दिया जाएगा. रिक्त पड़े 50% पदों को सरेंडर किया गया माना जाएगा तथा शेष 50% को 5000-8000 रु0 के ग्रेड में अपग्रेड किया जाएगा. भविष्य में भी, 4000-6000 रु0 के ग्रेड में और पदों के रिक्त होने पर, ऐसे पदों के 50% को 5000-8000 रु0 के ग्रेड में अपग्रेड कर दिया जाएगा तथा शेष 50% को सरेंडर कर दिया

रे.म.बो.सी.सी.-5/119.
सी.सी.5/97/आई/III/3

रे.बो.ई.सि.-223/98.
दिनांक. 28.04.98

जाएगा. सेरेंडर किए गये पदों को सरप्लस स्टॉफ बैंक के क्रेडिट में नहीं डाला जाएगा.

3. 4000-6000 रु0 के ग्रेड में पदों को समाप्त करने तथा अपग्रेड किए जाने के परिणामस्वरूप, 5000-8000 रु0 के ग्रेड में उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त पदों को प्रवरण के सामान्य तरीके से 4000-6000 रु0 के ग्रेड में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति करके भरा जाएगा. 4000-6000 रु0 के ग्रेड में पदों के मौजूद रहने तक, सामान्य तरीके से उत्पन्न होने वाली 5000-8000 रु0 ग्रेड में रिक्तियां मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भरी जाती रहेंगी, जिसमें सिविल इंजी. विभाग में डिप्लोमाधारकों के लिए 20% के सीधी भर्ती का कोटा शामिल नहीं होगा जिसे आगे बढ़ाकर रिक्तियों के 50% तक कर दिया गया है. 4000-6000 रु0 के ग्रेड में सभी पदों को पूर्णतः समाप्त कर दिए जाने के बाद, 5000-8000 रु0 के ग्रेड में पदों को पूर्णतः रेल भर्ती बोर्डों के जरिए सुसंगत इंजीनियरी क्षेत्रों में डिप्लोमाधारकों की सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा.

4. रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से सुसंगत इंजीनियरी क्षेत्रों में डिग्री की अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों की सीधी भर्ती द्वारा 20% पद भरे जाएंगे. शेष पदों को प्रवरण के जरिए 5500-9000 रु0 के ग्रेड में कार्यरत कर्मचारियों में से पदोन्नति करके भरा जाएगा. यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि ऐसे मौजूदा कर्मचारियों जिन्हें इंजीनियरी डिग्री की अर्हता के साथ भर्ती किया गया हो, को एक उचित समयसीमा के भीतर 6500-10500 रु0 के ग्रेड के पद उपलब्ध हो जाता है, सीधी भर्ती कोटे को 1640-2900 रु0 (5500-9000 रु0) के ग्रेड में कार्यरत इंजीनियरी स्नातक कर्मचारियों द्वारा 31.8.2001 तक की अवधि अथवा उस समय जब ऐसा कोई कर्मचारी अपने स्थापन के लिए प्रतीक्षारत बाकी न रहा हो, जो भी पहले हो, तक भरा जाएगा.

xxx